न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—272/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/272)

1. श्रीमती बदामी पत्नि रहमान पुत्री भोमा, जाति मेहरात हाल निवासी ताजपुरा (झितडा) पो0 बिराटिया खुर्द, तहसील रायपुर, जिला पाली

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती धापू पत्नि छीतर
2. प्रेमी पुत्री छीतर पत्नि नैना
3. रूकमा पुत्री छीतर पत्नि नैमा
   समस्त जाति मेरात, निवासी ताजपुरा(झितडा), पो0 बिराटिया खुर्द, तहसील रायपुर, जिला पाली।
4. राजस्थान सरकार जरिए भूधारक एवं उप—पंजीयक तहसीलदार बिजयनगर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 25.01.2023 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा राजस्व वाद संख्या 157/2021

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री समीर अहमद खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

निर्णय

दिनांकः—07.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 157/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाकै ग्राम केसरपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर प्रस्तुत किया। उपरोक्त प्रस्तुत वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखा जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा उक्त प्रकरण में कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 157/2021 में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

आदेश दिनांक 25.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रार्थीया द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को एकमात्र कब्जे के संबंध में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, वर्णित करते हुए निरस्त किए जाने मे त्रुटि कारित की गई है जबकि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के पूर्वाधिकारी भोमा की खातेदारी आराजी रही है जिसमे भोमा की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीया का नाम अंकन कर एकमात्र अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वाधिकारी छीतर के नाम अंकन किए गए है। राजस्व अभिलेख में रहे अंकन को महत्ता प्रदान कर बिना किसी आधार के निर्णय से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने में विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की गई है। रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 व 3 का सम्पूर्ण आराजीयात से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात का अवैधानिक रूप से स्वयं के पक्ष मे अवैधानिक इन्द्राजात के आधार पर वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 को निहित हिस्से से भूमि का बेचान किए जाने की अधिकारिता रही है। अतः उक्त बाबत राजस्व वाद के विचाराधीन रहते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखा जाना न्यायोचित रहा है, जिस हेतु प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को एकमात्र कब्जे बाबत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, वर्णित करते हुए खारिज किए जाने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में स्पष्टतया वादग्रस्त आराजी को पक्षकारान की पैत्रक सम्पत्ति होना अंकन करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त बाबत जहां उक्त प्रावधान एकमात्र राजस्व वाद से संबंधित रहे है, अंकन करते हुए प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने में त्रुटि की गई है। अपीलाण्ट्स के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष राजस्व वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु खातेदारी की आराजीयात में स्वयं के हिस्से पर कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नहीं किया जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाकर प्रकरण में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना जवाब प्रार्थना पत्र पर बिना प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओं का निस्तारण किये बिना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को विधि द्वारा बाधित होना अंकन करते हुए निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दुओं पर विधिवत रूप से विवेचन करते हुये किया जाना चाहिये था। वादग्रस्त आराजीयात से रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 अथवा उनके पिता का कोई सरोकार नही है। वादग्रस्त सम्पूर्ण

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

आराजीयात पर अपीलाण्ट के पूर्वज तत्पश्चात् अपीलाण्ट काबिज काश्त चले आ रहे है जो कि प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है। रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 द्वारा स्वयं के पक्ष मे रहे इन्द्राजात के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल किए जाने की कार्यवाही निर्णय की आड में की जा रही है। रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 को किसी भी प्रकार की अधिकारिता प्राप्त नहीं होती है। वादग्रस्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार अपीलाण्ट का कब्जा होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में है तथा यदि वादग्रस्त आराजीयात से वाद के विचाराधीन रहते अपीलाण्ट को बेदखल करने की कार्यवाही की जाती है अथवा फर्जकारी रूप से स्वयं का नामांकन कराया जाता है, तो तुलनात्मक अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट को होना संभावित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आदेश से अपीलान्ट खातेदारान काबिज काश्त के पक्ष में प्रकरण को नहीं मानते हुये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने की कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार आराजीयात पर काबिज काश्त है, जिसे रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 द्वारा स्वयं के द्वारा खातेदार एवं काबिज काश्त होना वर्णित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण आराजीयात जिससे रेस्पोडेण्ट का कोई सरोकार नहीं है को पाबन्द नहीं फरमाये जाने में त्रुटि कारित की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट वादग्रस्त आराजीयात पर खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है जिन्हें उनके खातेदारी अधिकारों से महरूम करने की नियत से प्रस्तुत वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 157/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– ए0आई0आर0 पेज 188 राजस्थान, वेस्टर्न लॉ केसेस राजस्थान 1991(1) पेज 226, आरआरडी 1998 पेज 280, आर0बी0जे0(5)1998, आर0आर0डी 14.2.2010 पेज 97।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जे बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किए जाने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलना व अपूर्णीय क्षति का बिंदु प्रार्थीया के पक्ष में नहीं बनना पाया गया। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया गया जो कि एक न्यायसंगत निर्णय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायाल के समक्ष वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त विवादित आराजीयात मौजा केसरपुरा, पटवार हल्का केसरपुरा, भू–अभिलेख निरीक्ष क्षेत्र जीवाणा, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर की जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार उक्त भूमियां वाकै ग्राम केसरपुरा में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को खारिज किया गया।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विनिश्चित करने के तीन मूलभूत बिंदु है यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों बिंदुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह बात स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात भोमा की थी तथा भोमा के दो संताने हुई। एक प्रार्थीया बादामी व एक पुत्र छीतर जो कि फौत हो चुका है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 स्व0 छीतर के विधिक वारिसान है। चूंकि उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम अंकित है। जबकि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि वादीया बादामी जो कि भोमा की पुत्री है। उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। जबकि वह भी भोमा की एकमात्र पुत्री व वारिस है। परंतु उक्त आराजीयात बाबत किसका हक अधिकार विवादित आराजीयात पर निहित है। इस बात का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य व जांच परीक्षण के उपरांत वाद के मूल निस्तारण के बाद ही तय होगा। इसलिए तब तक आराजीयात को वादीया द्वारा क्लेम्ड हिस्से तक संरक्षित रखा जाना न्यायोचित है। प्रथम दृष्टया प्रकरण वादीया के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया/अपीलांट के पक्ष में व रेस्पोडेंटस के विरूद्ध बनना पाया जाता है। अतः रेस्पोडेंट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

सुविधा का संतुलन :– चूंकि यदि रेस्पोडेंट्स को उक्त आराजीयात बाबत पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक वाद बहुलता बढेगी इसलिए उक्त आराजीयात को मूल वाद के निस्तारण तक संरक्षित किया जाना न्यायालय का दायित्व है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में बनना पाया जाता है।

अपूर्णीय क्षति :– वादग्रस्त आराजीयात जो कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवादित आराजीयात है। जिसमें मूल वाद के पश्चात हक व अधिकार तय होने है। क्यों कि उक्त आराजीयात का दिनांक 27.7.2023 को पूर्व में दो बार बैचान हो चुका है। यदि उक्त आराजीयात को प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष अर्थात् प्रार्थीया द्वारा क्लेम्ड हिस्से तक संरक्षित नहीं किया गया तो यह न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जाकर यदि पाबंद नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में अपीलांट के हितों की रक्षा किया जाना संभव नहीं होगा चूंकि यदि उक्त आराजीयात का बेचान, हस्तांतरण या ऋण लेकर रहन किया जाता है तो अपीलांट को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है जिसकी क्षति पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। ऐसी अवस्था में रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

की बजाय अपीलांट को भारी तुलनात्मक असुविधा होगी। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत किस प्रकार क्षति कारित होगी, इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जब कि अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से यह बखूबी साबित किया गया है कि व्यादेश नहीं मिलने से वह किस प्रकार से प्रभावित होगा। अतः अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीया के पक्ष में बनना पाया जाता है। उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों मूलभूत बिंदु यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में पूर्णतया सिद्ध होते है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित की गई है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 157/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। उभयपक्षकारन को पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादीया द्वारा क्लेम्ड हिस्से तक की आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

07/05/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner